G.0 40/10
23/4/10

संख्या–1700 / 38–1–2010–35पी.एम.जी.एस.वाई. / 2009

प्रेषक,

आर0एन0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2010

विषय– प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एफ–76 / 31(4) / यू.पी.आर.आर.डी.ए. / 10–11, दिनांक 08.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 40,00,00,000 / – के सापेक्ष रू0 20,00,00,000 / – (रूपये बीस करोड़ मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि निर्मित सम्पर्क मार्गो का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त ग्राम पंचायतों को कर दिया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26.03.2010 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जाय। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जाये।

4– धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी / कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–"3054–सड़कें तथा सेतु–आयोजनेत्तर–04–जिला तथा अन्य सड़कें–105–रख–रखाव तथा मरम्मत–03–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण–01–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण" के नामें डाला जायेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0 प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

4/16/2010rathaur go

6– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.03.2010 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर0एन0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–R700 (1)/38–1–2010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/ वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2
6– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
7– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सुरजन)
उप सचिव।

4/16/2010rathaur go